[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2026-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. -----(अ).- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,:-

(i) क्रम संख्या 10ठ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“10 ड	अध्याय 99	भारत में किसी विदेशी कम्पनी प्रतिष्ठान द्वारा, जो कि एक शिपिंग कम्पनी है, किसी सम्बंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात, जब बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है\| स्पष्टीकरण: विदेशी कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (42) में दिया गया है।	शून्य	शून्य”;

(ii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कालम (3) में, मद (क) के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

“(कक) सीट-शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य अथवा पश्चिम बंगाल में स्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन (हेलीपैड सहित) से उड़ान भरने वाले या वहाँ पर उतरने वाले”;

(iii) क्रम संख्या 19 के समक्ष, कालम (3) में, स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 22ए के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा:-

“*स्पष्टीकरण.*- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात माल परिवहन एजेंसी के द्वारा ऐसे माल के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है”;

(v) क्रम संख्या 25बी के संबंध में, कॉलम (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“अनाज, दालों, फलों, सब्जियों और बुवाई के लिए बीजों के भंडारण या भाण्डागारण संबंधी सेवाएँ”;

(vi) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"32कक	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) द्वारा शासित व्यक्तियों को नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(vii) क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों अंत:स्थापित किया जाएगा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44क	शीर्षक 9973	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा विशेष मार्गाधिकार या पहुंच, लाइसेंस तथा पथकर की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के प्राधिकार प्रदान करने के रूप में सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(viii) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों अंत:स्थापित किया जाएगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"57क	शीर्षक 9986	कॉफी की खेती करने वालों को प्रदान की जाने वाली कॉफी के संसाधन संबंधी सेवाएँ। *स्पष्टीकरण* - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "संसाधन" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3 के खंड (घ) में दिया गया है।	शून्य	शून्य";

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (यङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(यङ) "माल परिवहन एजेंसी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।';

(ii) खंड (ययक) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा: —

'(ययकक) "बीज" से अभिप्रेत ऐसी कोई पादप सामग्री है, जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है या बुआई के लिए किया जाना है, और जिसमें नवांकुर, कंद, बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कलम, सभी प्रकार के ग्राफ्ट, टिश्यू कल्चर से तैयार छोटे पौधे और वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित अन्य सामग्री शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा वाली फसलों, चारे वाली फसलों, हरी खाद वाली फसलों और शर्करा वाली फसलों के बीज;
(ii) फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों वाली फसलों, सजावटी फसलों और बागान फसलों के बीज; और
(iii) रोपण सामग्री।'

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 190354/142/2026-टीआरयू अनुभाग-सीबीआईसी]

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.सं. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना संख्या 16/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांक 17 सितंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2025 के तहत अंतिम संशोधन किया गया था।